



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
आई.टी.शाखा, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक:- एफ3/मुख्या./आई.टी./2026/195

दिनांक:- 27/05/2026

संशोधित कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समसंख्यक आदेश एफ3/मुख्या/आईटी/2026/177 दिनांक 13.05.2026 की निरन्तरता में निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिये राज्य सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा यह निःशुल्क यात्रा परीक्षा दिनांक के दो दिवस पूर्व से परीक्षा दिनांक के दो दिवस पश्चात तक की जा सकेगी। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर परीक्षार्थियों के पंजीकरण एवं परिचालकों द्वारा जारी किये जाने वाले टिकिट की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

चरण 1: अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण

1. अभ्यर्थी निगम की वैबसाइट अर्थात <https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> पर क्लिक करते हुए लिंक "प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल" ओपन कर अपनी परीक्षा से संबंधित विवरण दर्ज कर पंजीयन करेंगे।
2. अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल पर एडमिट कार्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. पंजीकरण की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा।
4. यह पंजीकरण परीक्षा के 36 घंटे पूर्व तक किया जा सकेगा, इसके पश्चात पंजीकरण प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी ताकि मास्टर डेटाबेस एकीकरण का समय मिल सके।
5. अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ही उपलब्ध है। पोर्टल पर पंजीकरण मात्र से निःशुल्क यात्रा की पात्रता सुनिश्चित नहीं होती है। एडमिट कार्ड के आधार पर अभ्यर्थी की निःशुल्क यात्रा हेतु पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही परिचालक द्वारा टिकिट जारी किया जायेगा।

चरण 2: डेटा सिंक्रोनाइजेशन

1. पंजीकृत अभ्यर्थियों के रोल नंबर को परिचालक द्वारा टिकिट जारी करने वाली मशीन ETIM (Electronic Ticketing Issuing Machine) के मास्टर डेटाबेस में एकीकृत कर सिंक किया जाएगा।
2. ETIM मास्टर में उपलब्ध डेटा को सभी ETIM मशीनों में सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इससे परिचालकों के पास अद्यतन (Updated) और पंजीकृत डेटा उपलब्ध रहेगा।
3. परिचालक द्वारा टिकिट जारी करते समय निम्नानुसार रियलटाइम डेटा का सत्यापन किया जावेगा
 - "Competition Exam" श्रेणी में टिकिट जारी करते समय परिचालक परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड के विवरण के आधार पर रोल नं. ETIM में दर्ज करेंगे।

- परिचालक द्वारा ETIM मशीन में इन्द्राज किये जाने वाले रोल नंबर का ETIM मास्टर से स्वतः मिलान होगा।
- ETIM मशीन केवल ETIM मास्टर में उपलब्ध, अर्थात वैध एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों का ही टिकट जारी करेगी।
- अमान्य/गैर-पंजीकृत रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को बिना टिकिट श्रेणी में रखा जावेगा, जिन्हें टिकिट की पूरी राशि देकर यात्रा करनी होगी।

चरण 3: निगरानी एवं MIS रिपोर्ट्स

सिस्टम द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट्स उपलब्ध करवाई जाएगी:-

- कुल पंजीकरण
- जारी किए गए टिकिट

इन रिपोर्टों का उपयोग जाँच, ऑडिट एवं समायोजन (Reconciliation) हेतु किया जा सकेगा।

चरण 4: समायोजन (Reconciliation)

1. ETIM मशीनों से प्राप्त डेटा को पोर्टल के डेटा से मिलान किया जाएगा।
2. किसी भी विसंगति (Discrepancy) को MIS रिपोर्ट के माध्यम से पहचानकर समाधान किया जाएगा।

चरण 5: निरीक्षण

अमान्य/गैर-पंजीकृत रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को टिकिट की पूरी राशि देकर यात्रा करनी होगी, अन्यथा बिना टिकिट यात्रियों के समान नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विनोद कुमार पुरोहित)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक:- एफ3/मुख्या./आई.टी./2026/195

दिनांक:- 27/05/2026

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान परिवहन निगम
2. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम
3. कार्यकारी निदेशक (प्रशा0/विधि/यांत्रिक), राजस्थान परिवहन निगम
4. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान परिवहन निगम
5. महाप्रबंधक (याता0), राजस्थान परिवहन निगम
6. समस्त जोनल मैनेजर राजस्थान परिवहन निगम
7. कार्यकारी प्रबंधक (जनसम्पर्क), राजस्थान परिवहन निगम, को "प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल" के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु
8. समस्त मुख्य प्रबंधक राजस्थान परिवहन निगम
9. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)